



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2204]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2014/कार्तिक 2, 1936

No. 2204]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2014/KARTIKA 2, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2764 (अ).---केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान बंगलोर, अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 3535(अ) तारीख 29 नवंबर, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान बंगलोर में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :--

1.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सदस्य : मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	
2.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सदस्य : मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, (आयुर्विज्ञान शिक्षा) कर्नाटक सरकार	- पदेन
3.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग में सचिव, भारत सरकार	- पदेन
4.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य :	

	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान बंगलोर	- पदेन
5.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य : वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो)	- पदेन
6.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य : उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो)	- पदेन
7.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन सदस्य : महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार	- पदेन
8.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन सदस्य : उपकुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	- पदेन
9.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (I) के अधीन सदस्य : कर्नाटक सरकार का मुख्य सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो उस सरकार में सचिव की पंक्ति से अन्यून न हो	
10.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन सदस्य : (i) प्रो. के.विजय राघवन, सचिव, जैव प्रौद्योगिक विभाग, भारत सरकार । (ii) डॉ. वी.एस.चौहान, अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली । (iii) डॉ. विक्रम पटेल, आचार्य इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ, लंदन स्कूल आफ हाइजीन एंड ट्रोपिकल मेडिसिन, लंदन और संग्थ, गोवा । (iv) डॉ. रमेश बुधानी, निदेशक राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली। (v) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रभा श्रीदेवन, अध्ययन बौद्धिक संपदा अपील अधिकरण, चेन्नई । (vi) श्री अमृत बक्शी, अध्यक्ष विखंडित - मनस्कता जागरूकता संगम, पुणे। (vii) डॉ. आर थारा, निदेशक, विखंडित - मनस्कता अनुसंधान प्रतिष्ठान (एस.सी.ए.आर.एफ.) चेन्नई ।	
11.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन सदस्य : (i) प्रो. शोभा श्रीनाथ, आचार्य, बालक और किशोर मनोविकार चिकित्सा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलोर । (ii) डॉ. एस.के. पांडया, सेवानिवृत्त, विभागाध्यक्ष तंत्रिका शल्य-कर्म, किंग एडवर्ड, स्मारक अस्पताल, मुंबई ।	

	(iii) प्रो. भाबतोष विस्वास - आचार्य और प्रमुख, हृदय और वक्ष शल्य-कर्म, आर.जी.कार. चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता। (iv) डॉ. वी. रवि. आचार्य और प्रमुख, तंत्रिका विषाणुविज्ञान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलोर।	
12.	धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन सदस्य : (i) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद सदस्य, लोक सभा। (ii) श्री पी.सी. मोहन, संसद सदस्य, लोक सभा। (iii) प्रो. एम.वी.राजीव गौड़ा, संसद सदस्य, राज्य सभा।	

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान बंगलोर, अधिनियम, 2012 की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगी।

[फा.सं.वी.18013/01/2013-पीएच-1]

अंशु प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2014

S.O. 2764 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012), and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare notification number S.O. 3535 (E), dated the 29th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 29th November, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore, shall consist of the following members, namely:—

1. Member under clause (a) of sub-section (1) of section 5:

Minister of Health and Family Welfare, Government of India

ex-officio

2. Member under clause (b) of sub-section (1) of section 5:

Minister of Health and Family Welfare (Medical Education), Government of Karnataka

ex-officio

3. Member under clause (c) of sub-section (1) of section 5:

Secretary to the Government of India in the Ministry or Department of Health and Family Welfare

ex-officio

4. Member under clause (d) of sub-section (1) of section 5:

Director, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore

ex-officio

5. Member under clause (e) of sub-section (1) of section 5:

Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary)

Ministry of Finance, Department of Expenditure

ex-officio

6. Member under clause (f) of sub-section (1) of section 5:

Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary)

in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

ex-officio

7. Member under clause (g) of sub-section (1) of section 5:

Director General of Health Services, Government of India

ex-officio

8. Member under clause (h) of sub-section (1) of section 5:

Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka

ex-officio

9. Member under clause (i) of sub-section (1) of section 5:

Chief Secretary to the Government of Karnataka or his nominee who shall
not be below the rank of Secretary to that Government

ex-officio

10. Members nominated under clause (j) of sub-section (1) of section 5:

- (i) Prof. K. Vijay Raghavan, Secretary, Department of Biotechnology, Government of India.
- (ii) Dr. V.S. Chauhan, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi.
- (iii) Dr. Vikram Patel, Professor of International Mental Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London and Sangath, Goa
- (iv) Dr. Ramesh Budhani, Director, National Physical Laboratory, New Delhi.
- (v) Justice (Retd.) Prabha Sridevan, Chairperson, Intellectual Property Appellate Tribunal, Chennai.
- (vi) Shri Amrit Bakshy, President, Schizophrenia Awareness Association, Pune.
- (vii) (vii) Dr. R. Thara, Director, Schizophrenia Research Foundation (SCARF), Chennai.

11. Members nominated under clause (k) of sub-section (1) of section 5:

- (i) Prof. Shobha Srinath, Professor, Child and Adolescent Psychiatry, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore.
- (ii) Dr. S.K. Pandya, Retd. Head of the Department, Neurosurgery, King Edward Memorial Hospital, Mumbai.
- (iii) Prof. Bhabatosh Biswas, Professor and Head, Cardio and Thoracic Surgery, R.G. Kar Medical College, Kolkata.
- (iv) Dr. V. Ravi, Professor and Head, Neurovirology, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore.

12. Members elected under clause (l) of sub-section (1) of section 5:

- (i) Shri Mallikarjun Kharge, Member of Parliament, Lok Sabha
- (ii) Shri P.C. Mohan, Member of Parliament, Lok Sabha
- (iii) Prof. M.V. Rajeev Gowda, Member of Parliament, Rajya Sabha

The term of office of and vacancies among the members shall be governed by the provisions contained in section 6 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012.

[F. No.V.18013/01/2013 – PH.1]

ANSHU PRAKASH, Jt. Secy.